

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)  
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान धातरी

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या : 120 / 2025

निर्णय दिनांक : 01.07.2025

दायर दिनांक - 01.07.2025

GCMs 2025/235

1. गोविन्ददास पुत्र सुगनदास जाति स्वामी निवासी ग्राम धातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु

.....प्रार्थी

वसनाथ

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णयः

संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान धातरी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। रोही धातरी तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 39 के खसरा संख्या खसरा संख्या 604/212 तादादी 01.6565 है 0 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गोमददास पुत्र सुगनदास दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम गोविन्ददास पुत्र सुगनदास है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम गोविन्ददास पुत्र सुगनदास अंकित है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही धातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन



Handwritten signature or mark.

किया कि प्रार्थी के दस्तोवजों अ धारकार्ड, पैनकार्ड आदि में नाम गोविन्ददास पुत्र सुगनदास अंकित है। अतः तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गोमददास की बजाय गोविन्ददास दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।


पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड में प्रार्थी का नाम गोविन्ददास अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा रालग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:-

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही धातरी तहसील सुजानगढ़ में खेत खाता संख्या नया 39 के खसरा संख्या 604/212 तादादी 1.6565 है० में दर्ज खातेदार का नाम गोमददास के स्थान पर गोविन्ददास दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को मण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान धातरी में टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।



  
उपखण्ड अधिकारी  
सुजानगढ़